

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

मो.दु.दा. आ. 731/2010

निर्णय की तिथि: 7 मई, 2014

नीना देवी और अन्य

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अमित कुमार पांडे, अधिवक्ता

बनाम

अशोक यादव और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जय बंसल, प्र-1 के लिए अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. दीपा शर्मा (मौखिक)

1. इस अपील के माध्यम से मृतक कश्मीर सिंह के विधिक प्रतिनिधियों ने 8 जुलाई, 2010 के उस अधिनिर्णय को चुनौती दी है जिसके अंतर्गत 28,26,784/- रुपए का प्रतिकर दिया गया था। इस अपील का नोटिस प्रत्यर्थी सं. 1 को जारी किया गया था, लेकिन उसने वर्तमान अपील का विरोध नहीं किया। प्रत्यर्थी सं. 2 की मृत्यु हो चुकी थी और उसके विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लाए गए थे,

लेकिन उसकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अपील का विरोध केवल प्रत्यर्थी सं. 3, बीमा कंपनी द्वारा किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 9 मई, 2007 को सुबह लगभग 4 बजे श्री कश्मीर सिंह अपने सहकर्मी श्री सुभाष चंद शर्मा द्वारा चलाए जा रही मोटर साइकिल सं. डीएल4एसजेड6989 (हीरो होंडा) पर पीछे की सीट पर बैठे थे। दुर्घटना के समय वे अपने कार्यालय से वापस आ रहे थे और जब वे अक्षरधाम मंदिर, पांडव नगर, दिल्ली के पास पहुँचे, तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के एक किनारे रोक दी। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा चलाए जा रहे एक ट्रक सं. एचआर-38 बी-2344 ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें घातक चोटें आईं। उस समय उक्त ट्रक बहुत तेज़ गति से चलाया जा रहा था।

3. अधिकरण के इस निष्कर्ष पर कोई विरोध नहीं है कि दुर्घटना प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा चलाए जा रहे ट्रक सं. एचआर-38 बी-2344 के तेज़ व लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। इस मुद्दे पर अधिकरण के निष्कर्ष इस प्रकार अंतिम हो जाते हैं।

4. इस दुर्घटना में श्री कश्मीर सिंह को घातक चोटें आईं और उसी दिन जी.टी.बी. अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। भा.दं.सं. की धारा 279/337/304 क के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 248/2007 दर्ज की गई। मृतक श्री कश्मीर सिंह के

कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा धारा 140 और 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दावा दायर किया गया था जिसे वाद सं. 409/2007 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

5. दावेदारों ने दो आधारों पर इस अधिनिर्णय का विरोध किया है। सबसे पहले, अधिकरण ने मृतक की आय की गलत गणना की है। यह प्रतिवाद दिया गया है कि अधिकरण ने मृतक को मिलने वाले जीपीएफ़, ग्रैच्युटी और अन्य लाभों को उसके वेतन के साथ नहीं जोड़ा है। *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम इंद्रा श्रीवास्तव और अन्य (2007 (14) स्केल)* तथा *श्यामवती शर्मा और अन्य बनाम करण सिंह और अन्य (2010 एसीजे 1968)* पर भरोसा किया गया है। दूसरे, अधिकरण ने *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य (2013 (6) स्केल)* नामक मामले में निर्धारित विधि के अनुसार दाम्पत्य और प्रेम और स्नेह की हानि की गणना नहीं की है।

6. अपील का विरोध केवल बीमा कंपनी/प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा किया गया है। बीमा कंपनी ने आरोप लगाया है कि सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद ही अधिनिर्णय सही ढंग से पारित किया गया है।

7. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेख और 8 जुलाई, 2010 के आक्षेपित अधिनिर्णय का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

8. इस मामले में इस तथ्य को चुनौती नहीं दी जा सकती कि दुर्घटना वाहन के तेज़ और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। इस प्रकार इस मामले में निष्कर्ष अंतिम रूप से मान्य हो गया है।

9. अपीलार्थी का पहला प्रतिविरोध यह है कि अधिकरण ने 19,263.51 रुपये की राशि को सकल वेतन के रूप में लिया है जबकि वेतन पर्ची जो कि प्र.अभि.सा.3/घ है, अन्य लाभों को दर्शाती है जो मृतक अपने वेतन के भाग के रूप में प्राप्त कर रहा था। इसमें भविष्य निधि हिस्सा, एलटीए, ग्रैच्युटी और पी.एल. नकदीकरण शामिल है। यह तर्क दिया गया है कि ये लाभ मृतक के आश्रितों के लाभ के लिए थे और इन्हें जोड़ा जाना चाहिए था और सकल वेतन को 23,668.51 रुपये के रूप में लिया जाना चाहिए था।

10. यह एक स्थापित विधि है कि आश्रितता की हानि की गणना के उद्देश्य से मृतक की आय की गणना करते समय, आय में वे सभी भत्ते और लाभ शामिल होते हैं जो मृतक के परिवार के लिए लाभकारी थे। आश्रितता की हानि की गणना के उद्देश्य से आय की गणना करते समय विद्वान अधिकरण ने जीपीएफ़ और ग्रैच्युटी की राशि को नहीं जोड़ा है। *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम इंद्रा श्रीवास्तव एवं अन्य (2007 (14) स्केल)* मामले में तथा *श्यामवती शर्मा एवं अन्य बनाम करण सिंह एवं अन्य (2010 ए.सी.जे. 1968)* मामले में भी शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि "आय" शब्द में अन्य भत्ते शामिल हैं, जो

पूरे परिवार के लिए लाभकारी हैं तथा इस उद्देश्य के लिए आय की गणना करते समय भविष्य निधि और गैरच्युटी के लिए कटौती को भी जोड़ा जाना चाहिए। **श्यामवती शर्मा एवं अन्य (पूर्वोक्त)** मामले में विद्वान शीर्ष न्यायालय ने आश्रितता की हानि की गणना के लिए ऋण की अदायगी को भी मृतक की आय में जोड़ा है। हालाँकि, छुट्टी यात्रा भत्ते को आय में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह परिवार के लाभ के लिए नहीं था। वेतन प्रमाण पत्र प्र.अभि.सा.3/घ के अनुसार, मृतक को अपने जीपीएफ़ के लिए 1788 रुपये, गैरच्युटी के रूप में 716 रुपये और पी.एल. नकदीकरण के रूप में 1448 रुपये मिल रहे थे। प्रतिकर की गणना के उद्देश्य से मृतक की कुल आय 17,864 रुपये + 1788 रुपये + 716 रुपये + 1448 रुपये = 21,816 रुपये है। इस प्रकार विद्वान अधिकरण ने आश्रितता की हानि के उद्देश्य से मृतक की आय की गणना करते समय इस राशि को नहीं जोड़कर त्रुटि की है।

11. विद्वान अधिकरण ने दाम्पत्य की हानि के लिए 10,000/- रुपये तथा नाबालिगों के प्रति प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 10,000/- रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। अपीलार्थी ने **राजेश (पूर्वोक्त)** मामले में शीर्ष न्यायालय के निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए दाम्पत्य की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये तथा प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये का दावा किया है।

12. उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया

है: -

“...20. किसी विधि मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय का अनुपात एक पूर्व उदाहरण है। लेकिन इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी की, मुख्य रूप से एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दे पर एकरूपता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, एक विधिक सिद्धांत के विपरीत, हालाँकि एक पूर्व उदाहरण है, समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है और वास्तव में होनी भी चाहिए, जैसा कि संतोष देवी (पूर्वोक्त) में देखा गया है। इसलिए, हम पारंपरिक मदों के अंतर्गत प्रतिकर देने की प्रथा पर फिर से विचार करेंगे: जीवनसाथी को दाम्पत्य की हानि, बच्चों को प्रेम, देखभाल और मार्गदर्शन की हानि और अंतिम संस्कार का व्यय। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन मदों में 2,500 रुपये से 10,00 रुपये की राशि कई दशक पहले तय की गई थी और मुद्रास्फीति कारक को ध्यान में रखते हुए, इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। सरला वर्मा (पूर्वोक्त) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दाम्पत्य की हानि के लिए प्रतिकर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की सीमा में होना चाहिए। विधिक भाषा में, “दाम्पत्य” पति या पत्नी का अपने साथी के साथ संगति, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और यौन संबंधों का अधिकार है। क्षतिपूर्ति के उस गैर-आर्थिक मद को हमारे न्यायालयों द्वारा ठीक से नहीं समझा गया है। साथी, प्रेम, देखभाल और सुरक्षा आदि की हानि, जिसे पति या पत्नी पाने का हकदार है, उसका उचित रूप से प्रतिकर दिया जाना चाहिए। दाम्पत्य की हानि के लिए गैर-आर्थिक क्षति की अवधारणा विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया

आदि में, प्रतिकर देने के प्रमुख तरीकों में से एक है। अंग्रेजी न्यायालयों ने भी पति-पत्नी के अधिकार को मान्यता दी है कि वे दाम्पत्य की हानि से अस्थायी विकलांगता की अवधि के दौरान भी प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालयों ने भविष्य के वर्षों के दौरान पति-पत्नी के स्नेह, आराम, सांत्वना, साहचर्य, समाज, सहायता, सुरक्षा देखभाल और यौन संबंधों की हानि की भरपाई करने का प्रयास किया है। अन्य देशों और अन्य न्यायालयों में दिए जाने वाले प्रतिकर के विपरीत, चूँकि विधिक उत्तराधिकारियों को अन्यथा आर्थिक हानि के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिकर दिया जाता है, इसलिए इस मद के अंतर्गत बड़ी राशि देना उचित नहीं होगा। इसलिए, हमारा मानना है कि यह उचित और तर्कसंगत होगा कि न्यायालय दाम्पत्य की हानि के लिए कम से कम एक लाख रुपये का अधिनिर्णय दें।”

13. उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से, मैं यह अभिनिर्धारित करती हूँ कि अपीलार्थीगण, मृतक की पत्नी और नाबालिग बच्चे, दाम्पत्य की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये और प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये के हकदार हैं।

14. इस मामले में प्रतिकर का पुनर्मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है: -

| क्र.सं. | मद                           | गणना        |
|---------|------------------------------|-------------|
| (i)     | वेतन                         | रु.21,816/- |
| (ii)    | उपरोक्त (i) का 30% भविष्य की | रु.6,544.80 |

|        |                                                                                     |                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        | संभावनाओं के रूप में जोड़ा गया।                                                     |                                                                      |
| (iii)  | (ii) का $\frac{1}{4}$ हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत व्यय के रूप में काटा गया             | रु.5465/-                                                            |
| (iv)   | निर्भरता की मासिक हानि                                                              | रु.21816 + 6544 - 5465 =<br>रु.22,895.80                             |
| (v)    | निर्भरता की वार्षिक हानि                                                            | रु.22895.80 x 12 = रु.274749.60                                      |
| (vi)   | मृतक की आयु 46 वर्ष, सरला वर्मा बनाम डी.टी.सी. (2009 ए.सी.जे. 129 ए) के अनुसार गुणक | = 13                                                                 |
| (vii)  | निर्भरता की कुल हानि                                                                | रु. 274749.60 x 13 =<br>रु.3571744.80 = कुल मिलाकर<br>रु.35,71,745/- |
| (viii) | नाबालिग बच्चों की देखभाल और मार्गदर्शन की हानि                                      | रु.1,00,000/-                                                        |
| (ix)   | दाम्पत्य की हानि                                                                    | रु.1,00,000/-                                                        |
| (x)    | संपत्ति की हानि                                                                     | रु.10,000/-                                                          |
| (xi)   | अंतिम संस्कार का खर्च                                                               | रु.10,000/-                                                          |
|        | कुल                                                                                 | रु.37,91,745/-                                                       |

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिका दायर करने की तिथि से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 37,91,745/- रुपये की राशि प्रदान करती हूँ।

16. प्रत्यर्थी आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकरण के समक्ष यह राशि जमा करेंगे। यदि प्रत्यर्थी ने अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत किए गए प्रतिकर की राशि पहले ही जमा कर दी है, तो उन्हें आज से छह सप्ताह के भीतर अधिकरण के पास 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ी हुई राशि जमा करनी होगी। यदि प्रत्यर्थी छह सप्ताह की अवधि के भीतर राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो अपीलार्थी चूक की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा। बढ़ी हुई राशि 8 जुलाई, 2010 के मूल अधिनिर्णय में अधिकरण के निर्देशों के अनुसार याचीगण के बीच वितरित की जाएगी।

17. अधिकरण ने बीमा कंपनी को वसूली के अधिकार प्रदान किए हैं। बीमा कंपनी को बढ़ी हुई राशि की वसूली के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

18. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

न्या. दीपा शर्मा

07 मई, 2014

जे

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।